



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 2014/माघ 26, 1935

No. 344]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 2014/MAGHA 26, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2014

का.आ. 409(अ).—लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 16 जनवरी, 2014 को प्रवृत्त हुआ था;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 में लोक सेवक से उक्त अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में, सक्षम प्राधिकारी को आस्तियों और दायित्वों की घोषणा किए जाने की अपेक्षा की गई है;

और उक्त अधिनियम, की धारा 44 में (i) लोक सेवक द्वारा पद के ग्रहण किए जाने की तारीख तीस दिन के भीतर पदभार ग्रहण किए जाने के अवसर पर ; और (ii) लोक सेवक द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उस रूप में पद धारण करने पर, आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देने की अपेक्षा की गई है;

और अधिनियम की धारा 44 में ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास प्रत्येक वर्ष जुलाई के इकतीसवें दिन को या उसके पूर्व फाइल किए जाने की अपेक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे विवरण उस मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर उक्त वर्ष के अगस्त के इकतीसवें दिन तक प्रकाशित कर दिए जाएं;

और भिन्न-भिन्न नियम, जैसे कि-

- (i) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964;
- (ii) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968;
- (iii) रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966,

तथा प्रत्येक लोक सेवा द्वारा संपत्ति की विवरणी फाइल किए जाने और आस्तियों की घोषणा किए जाने के संबंध में लोक सेवक के संबंध में विद्यमान अन्य सुसंगत नियमों का, जो राष्ट्रपति या केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान या संसद् के सुसंगत अधिनियमों के अधीन विरचित किए गए हैं, प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;

और उपर्युक्त उक्त नियमों तथा अन्य सुसंगत नियमों का उक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों के अनुरूप उपांतरण या संशोधन किए जाने में, ऐसी सांविधानिक और अन्य कानूनी अपेक्षाओं को, जिनका कि ऐसे नियमों का, जो प्रवर्तन में हैं, उपांतरण या संशोधन करते समय पालन किया जाना होगा, बनाए रखते हुए कुछ समय की आवश्यकता होगी;

और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का संशोधन किए जाने में सांविधानिक उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करना अपेक्षित होगा और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के मामले में उक्त नियमों

का संशोधन अथवा उपांतरण किए जाने में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 के निबंधनों के अनुसार संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श किया जाना अपेक्षित होगा;

और उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों का अन्य सुसंगत अधिनियमों और सांविधानिक उपबंधों के साथ सामंजस्य बिटाने की प्रक्रिया को उक्त अधिनियम की धारा 44 में उपबंधित समय-सीमा के भीतर पूरा करना संभव नहीं है और न ही संभव हो सकेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन लोक सेवकों द्वारा सूचना प्रदान किए जाने और वार्षिक विवरणियां फाइल किए जाने के प्ररूप और रीति को विहित किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाने के पूर्व उसकी अपेक्षा का ऊपर निर्दिष्ट सांविधानिक उपबंधों, अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ सामंजस्य बिटाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 62 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 44 के निबंधनों के अनुसार लोक सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा किए जाने और संपत्ति की विवरणियां फाइल किए जाने के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश, 2014 है।

(2) यह राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **सुसंगत नियमों का उक्त अधिनियम की धारा 44 के अनुरूप उपांतरण या संशोधन.**—(1) इस आदेश में निर्दिष्ट सुसंगत नियमों का उपांतरण या संशोधन उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवर्तन में आए हैं, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) ऐसे लोक सेवक, जिन्होंने सुसंगत नियमों के उपबंधों के अधीन घोषणाएं, सूचना या विवरणियां फाइल की हैं, उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विरचित नियमों के अनुपालन में यथास्थिति, पुनरीक्षित घोषणाएं, सूचना या विवरणियां उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल करेगा।

[सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(बी)]

दीप्ती उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2014

S.O. 409(E).—Whereas the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) came into force on the 16th day of January, 2014;

And whereas Section 44 of the said Act requires making of a declaration of assets and liabilities by the public servant to the competent authority in the manner provided under the said Act;

And whereas Section 44 of the said Act requires furnishing of information relating to assets and liabilities, (i) by the public servant on the occasion of entering upon office within thirty days from the date of assumption of office, and (ii) by a public servant holding his office as such within a period of thirty days from the date of coming into force of the said Act;

And whereas Section 44 of the said Act also requires the filing of annual return of such assets and liabilities with the competent authority, on or before the 31st day of July every year; and the competent authority in respect of each Ministry or Department shall ensure such statements are published on the website of such Ministry or Department by the 31st day of August of that year;

And whereas different set of rules such as—

- (i) the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;
- (ii) the All-India Services (Conduct) Rules, 1968;
- (iii) the Railway Services (Conduct) Rules, 1966,

and other relevant rules exist with respect to public servants on filing of property returns and making of declaration of assets by every public servant which have been framed by the President or the Central Government in exercise of powers under the Constitution or the relevant Acts of Parliament and are being complied with by each and every Government servant;

And whereas the modifications or amendments of the above said rules and other relevant rules in consonance with the provisions of Section 44 of the said Act will need some time keeping the constitutional and other statutory requirements which are to be followed while modifying or amending of such rules which are in force;

And whereas the amendment of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 shall require consultation with the Comptroller and Auditor-General of India as per the constitutional provisions, and in case of the All-India Services (Conduct) Rules, 1968, the amendment or modification of the said rules shall require consultation with the Governments of the States concerned in terms of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951);

And whereas after following the above procedure, it is unlikely and may not be possible to complete the process of harmonising the provisions of section 44 of the said Act with other relevant Acts and the Constitutional provisions within the timeframe provided in Section 44 of the said Act;

And whereas difficulties have arisen in giving effect to the provisions of Section 44 of the said Act and harmonising its requirement with the above referred Constitutional provisions, Acts and the rules made thereunder before the rules are made by the Central Government for prescribing the form and manner of furnishing information and filing of annual returns by public servants under the said Section 44;

Now, therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), hereby makes the following Order to remove the difficulties in respect of making of declaration of assets by public servants and filing of property returns in terms of Section 44 of the said Act, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Modification or amendment of relevant rules in consonance with Section 44 of said Act.—(1) The modification or amendment to the relevant rules referred to in this Order shall be carried out within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date on which the provisions of the said Act came into force.

(2) The public servants who have filed the declarations, information and returns under the provisions of the relevant rules shall file revised declarations, information or returns, as the case may be, in compliance of the rules framed under Section 44 of the said Act within the period specified therein.

[No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.